न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद सं0–10 / 2022

02.11.2023

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन दिनांक–12.07.2023 को संचालित करते हुए कथन करते हैं कि वादी ने यह वाद घोषित करने के लिए दायर किया है क वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद की भूमि पर वैध अधिकार, स्वामित्व हित प्राप्त है। वाद पत्र के अवलोकन से पाया गया कि इस वाद पत्र में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य टंकण के दौरान छुट गया है। वादी अपने वाद में संशोधन नहीं कर सका तो उन्हें भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। उक्त संशोधन से वाद के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अन्त में निवेदन करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी अपने प्रतिउत्तर दिनांक–19.10.2023 के माध्यम से कथन करते है कि वादीगण ने वाद पत्र में संशोधन के लिए सी0 पी0 सी0 के आदेश–6 नियम–17 के अन्तर्गत दिनांक–12.07.2023 को याचिका दायर की जो न तो कम और न ही तथ्यों के तहत सुनवाई योग्य है। वादी खेसरा सं0–859 के वर्तमान खाता सं0–423 को बदलना चाहता है और इसके स्थान पर खाता सं0–425 और खेसरा सं0–822 का 1,37 एकड़ क्षेत्र जोड़ना चाहता है और अनुसूची (A) में भी शामिल है। सी0 एस0 खेसरा सं0–247, सी0 एस0 खाता सं0–204 से अलग किया गया है, लेकिन वादी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। यहॉ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वादी सी0 एस0 खाता संख्या के आधार पर दावा पेश करता है। 103 जो गलत एवं झूठी वंशावली के सहारे हिया मुसहर के नाम पर दर्ज कर दिया गया, इतना ही नहीं बल्कि विद्यमान खेसरा सं0–864,818 एवं 817 का आर0 एस0 खाता सं0–425 से कोई संबंध नहीं है।अतः इस स्थिति में वादी का संशोधन आवेदन संधारणीय नहीं है। अतः वादी की ओर से दाखिल इस संशोधन आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर वाद–पत्र में संशोधन करे।

वाद दिनांक– 01.12.2023 वास्ते प्रतिवादी लिखित कथन हेतु।

मुंसिफ
बनमनखी।

01.12.23 पी० पक्ष० ...